

औद्योगिक दुर्घटनाएँ

प्रलिमिस के लिये:

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहति, 2020, श्रम बयूरो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ILO कन्वेंशन।

मेन्स के लिये:

भारत में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य- वशिलेषण, चुनौतियाँ और उठाए जा सकने वाले कदम, भारत में श्रमिकों के संबंध में रूपरेखा, वर्तमान श्रम सुधारों से संबंधित अस्पष्ट क्षेत्र

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?


हाल ही में महाराष्ट्र के ठाणे में एक रासायनिक इकाई में वसिफोट होने से 11 लोगों की मौत हो गई। भारत और विश्व के अन्य हिस्सों में ऐसी औद्योगिक दुर्घटनाओं औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिये एक बड़ी समस्या बन गई है।

औद्योगिक एवं रासायनिक आपदा:

- इसे एक विशेष रसायन के रसिव (दरव/गैस अवस्था में) के रूप में परभिष्टि किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप समाज के कामकाज में अचानक और गंभीर व्यवधान उत्पन्न होता है, जिससे व्यापक मानवीय, भौतिक या प्र्यावरणीय क्षति होती है, जो प्रभावित समाज की अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करके सामना करने की क्षमता से परे होती है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पराधिकरण (National Disaster Management Authority- NDMA) के अनुसार, पछिले दशक में देश में 130 से अधिक बड़ी रासायनिक दुर्घटनाओं हुई हैं, जिनमें कुल 250 से अधिक लोगों की जान गई है।

भारत में औद्योगिक दुर्घटनाओं में योगदान देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?

- अपर्याप्त विनियमन और नियरानी:** 15 अधनियमों और 19 नियमों सहित अनावश्यक विनियमों में रासायनिक उद्योग के लिये एकीकृत दृष्टिकोण का अभाव है। इस विखिन के कारण अधिकार क्षेत्र में अतिविधिपन और खामियाँ उत्पन्न होती हैं, जिससे सुरक्षा उपायों की नियरानी एवं प्रवर्तन कमज़ोर होता है।
- व्यापक रासायनिक जोखिम डेटाबेस का अभाव:** औद्योगिक रसायनों और उनके जोखिमों पर एक केंद्रीय डेटाबेस की कमी ज्ञान का अभाव उत्पन्न करती है, जो खतरे के मूलयांकन और सुरक्षा परोटोकॉल विकास में बाधा डालती है।
- अपर्याप्त श्रमिक प्रशिक्षण और जागरूकता:** बॉयलर का संचालन अक्सर अप्रशक्ति, संविधि श्रमिकों के ज़मिमे होता है, जिनके पास उचित सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रशिक्षण का अभाव होता है, जैसा कीटी कानपुर द्वारा बताया गया है।
 - इससे दुर्घटनाओं के दौरान भ्रम की स्थितिउत्पन्न होती है और जोखिम का खतरा बढ़ जाता है, विशेषकर खतरनाक रसायनों के मामले में।
- श्रमिक सुरक्षा में अपर्याप्त नियश:** कुछ उद्योगों द्वारा लागत में कटौती करते समय अक्सर सुरक्षा उपकरणों और बुनियादी ढाँचे, जैसे उचित वेटलिशन एवं अग्नि-सुरक्षा उपायों की उपेक्षा की जाती है।
 - IIT कानपुर द्वारा, वर्ष 2023 में किया गया अध्ययन औद्योगिक दुर्घटनाओं को कम करने के लिये श्रमिक सुरक्षा में अधिक नियश की आवश्यकता पर बल देता है।
- रखरखाव का अभाव:** बैंजमिडिजोल से जुड़ा विशेषज्ञता गैस रसिव रखरखाव और संचालन के बारे में चिताएँ उत्पन्न करता है।
 - नेवेली की घटना में एक बॉयलर को संचालित करने के दौरान अप्रत्याशित रूप से वसिफोट हो गया, जबकि वह चालू नहीं था तथा उसमें मुख्य रूप से भट्टी और भाप उत्पादन (Furnace and Steam Production) शामिल था।



Chemical incidents and fatalities

भारत में अतीत में घटति प्रमुख औद्योगिक आपदाएँ:

भारत में औद्योगिक दुर्घटनाओं का एक लंबा इतिहास रहा है, हाल ही में 130 से अधिक गंभीर रासायनिक दुर्घटनाएँ घटति हुई हैं।

- **भोपाल गैस त्रासदी (1984):** यह अब तक की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा है, जिसमें एक कीटनाशक संयंत्र से गैस रसिाव के कारण 3,700 से अधिक लोग मारे गए और अनेकों लोग घायल हो गए।
- **चासनाला खनन आपदा (वर्ष 1975):** एक कोयला खदान में मीथेन गैस के कारण हुए वसिफोट और उसके बाद खदान ढहने से लगभग 700 लोगों की मृत्यु हो गई।
- **जयपुर तेल डिपो आग (वर्ष 2009):** एक तेल भंडारण केंद्र में आग लगने से 12 लोगों की मृत्यु हो गई और पाँच लाख से ज्यादा लोगों को बचाया गया। इस दौरान उचित आपदा प्रबंधन योजना का अभाव एक बड़ा मुद्दा था।
- **कोरबा चमिनी कांड (वर्ष 2009):** कमज़ोर नरिमाण प्रवृत्तियों के कारण नरिमाणाधीन चमिनी ढह गई, जिसमें 45 शरमकियों की मृत्यु हो गई।
- **मायापुरी रेडियोलॉजिकिल घटना (वर्ष 2010):** शरमकियों ने अनजाने में स्क्रैपयारड में एक रेडियोधर्मी अनुसंधान वकिरिणक को नष्ट कर दिया, जिससे वे और अन्य लोग वकिरिण के संपर्क में आ गए।
- **बॉम्बे डॉक्स वसिफोट (वर्ष 1944):** वसिफोटकों से लदे एक मालगाहक जहाज में वसिफोट हो गया, जब वह मुंबई बंदरगाह पर मौजूद था, जिसमें लगभग 800 लोग मारे गए और व्यापक आर्थिक क्षति हुई।

ऐसी औद्योगिक एवं रासायनिक दुर्घटनाओं के परणिम क्या हैं?

- **जीवन की हानिएवं घायल होना:** औद्योगिक दुर्घटनाओं के परणिमस्वरूप कई लोगों की मृत्यु होती है और कई को काफी गंभीर चोटें आती हैं। उदाहरण: ठाणे में एक रासायनिक कारखाने में वसिफोट में 11 लोगों की जान चली गई।
- **पर्यावरणीय क्षति:** रासायनिक रसिाव, वसिफोट और अनुचित अपशिष्ट नपिटान से गंभीर पर्यावरणीय क्षति (वायु, जल व मृदा प्रदूषण) हो सकती है।
 - उदाहरण: वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी एक भयावह घटना है, जिसमें यूनियन कारबाइड संयंत्र से मथिआइल आइसोसाइनेट (Isocyanate) गैस के रसिाव के परणिमस्वरूप हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई और अनगनित लोगों को दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएँ हुईं।
- **आर्थिक व्यवधान:** सुवधियों को हुई हानिकी क्षतिपूरति, पीड़ितों के परिवारों को मुआवज़ा देने और घायल शरमकियों के उपचार की लागत काफी अधिक हो सकती है।
 - अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (Environmental Protection Agency- EPA) के एक अध्ययन में पाया गया कि रासायनिक दुर्घटनाओं से आसपास के क्षेत्रों में संपत्ति के मूल्य में 5-7% की कमी आ सकती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर और अधिक प्रभाव पड़ सकता है।
- **मनोवैज्ञानिक आघात:** औद्योगिक दुर्घटनाओं से संबंधित आघात का जीवति बचे लोगों, गवाहों और पीड़ितों के परिवारों पर दीर्घकालिक

मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है।

◦ चिंता, अवसाद और अभिधितजन्य तनाव विकार (Post-traumatic Stress Disorder- PTSD) इसके सामान्य परिणाम हैं।

- जनता के विश्वास को क्षति: बार-बार होने वाली औद्योगिक दुर्घटनाएँ नियमित निकायों एवं उदयोगों में जनता के विश्वास को समाप्त कर सकती हैं। इससे जनता में भय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और नई औद्योगिक परियोजनाओं का विरोध हो सकता है।

औद्योगिक आपदा रोकथाम पर ILO की अनुशंसाएँ:

- जोखमिपूरण पदारथों की पहचान:
 - अंतर्राष्ट्रीय जोखमिपूरण रसायनों और ज्वलनशील गैसों की सूची बनाना तथा उनकी मात्र की एक विशिष्ट सीमा निरिधारित करना।
 - निरिधारित मात्रा से अधिक जोखमिपूरण सामग्री का संचालन करने वाली कसी भी सुविधा को "प्रमुख जोखमिपूरण कार्यस्थल" के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- प्रमुख जोखमिपूरण कार्यस्थलों की सूची:
 - प्रत्येक राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र में प्रमुख जोखमिपूरण कार्यस्थलों की एक व्यापक सूची बनानी चाहिये, जिसमें सुविधा का प्रकार, प्रयुक्त रसायन और भंडारित मात्रा जैसे विवरण शामिल हों।
- केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन:
 - जोखमिपूरण सामग्रियों की सूची और प्रमुख जोखमिपूरण कार्यस्थलों की सूची को एक केंद्रीकृत कंप्यूटरीकृत डाटाबेस में संग्रहीत किया जाना चाहिये।
 - यह नियमित निकायों, आपातकालीन उत्तरदाताओं और जनता द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी तक सुविधापूर्ण पहुँच की अनुमति देगा।

रासायनिक/औद्योगिक आपदाओं के विद्युद्ध कानूनी सुरक्षा उपाय क्या हैं?

- अंतर्राष्ट्रीय:
 - [आपदा जोखमि नियन्त्रण हेतु सेंडार्ड फ्रेमवरक 2015-2030](#)
 - औद्योगिक दुर्घटना के सीमापारीय प्रभावों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1992):
 - यह औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम और उनसे निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
 - पारदृश्यों जानकारी साझा करती हैं, आपात स्थितियों की योजना बनाती हैं और आपदाओं के दौरान एक-दूसरे की सहायता करती हैं। इससे व्यापक दुर्घटनाओं का जोखमि कम हो जाता है।
 - [UNEP का दुर्घटना निवारण और तैयारी के लिये लचीला ढाँचा \(CAPP\) \(2006\)](#): यह देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों, को रासायनिक दुर्घटनाओं को रोकने और उनके प्रबंधन के लिये कार्यक्रम बनाने में सहायता करने के लिये एक लचीला दृष्टिकोण अपनाता है।
 - यह देश की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों को बनाने के संबंध में मार्गदर्शन भी प्रदान करता है।
 - रासायनिक दुर्घटनाओं पर [OECD कार्यक्रम \(वर्ष 1990\)](#): यह रासायनिक सुरक्षा में सूचना साझाकरण और सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से दुर्घटनाओं को रोकने पर केंद्रित है।
- भारत:
 - [भोपाल गैस रसियाव \(दावों का प्रसंस्करण\) अधिनियम, 1985](#)
 - [पर्यावरण \(संरक्षण\) अधिनियम, 1986](#)
 - [सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 \(Public Liability Insurance Act- PLIA\)](#):
 - यह अधिनियम जोखमिपूरण पदारथों का प्रयोग करने वाले उदयोगों के लिये बीमा अन्वित करता है। यह बीमा इन पदारथों से संबंधित दुर्घटनाओं से प्रभावित लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करता है।
 - [राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम, 1997](#):
 - इस अधिनियम ने राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण (National Environment Appellate Authority- NEAA) की स्थापना की, जो [पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 \(Environment Protection Act- EPA\)](#) के तहत कुछ औद्योगिक गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के संबंध में अपीलों की सुनवाई करता है तथा एक निषिपक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चयित करता है।
 - [खतरनाक अपशिष्ट \(प्रबंधन, हैंडलिंग और ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट\) नियम, 1989](#):
 - इसमें उदयोगों से महत्वपूर्ण दुर्घटना जोखमियों की पहचान करने, निवारक उपायों को लागू करने और कसी भी संभावित खतरे की सूचना उपयुक्त प्राधिकारियों को देने की अपेक्षा की जाती है।
 - [अतिरिक्त उपाय](#):
 - [राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण \(National Disaster Management Authority- NDMA\)](#) ने रासायनिक आपदा प्रबंधन पर विशेष दशा-निरिदेश जारी किये हैं। ये अधिकारी विभिन्न प्राधिकरणों को विस्तृत आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करने के लिये दशा-निरिदेश प्रदान करते हैं।
 - कई अन्य कानून और विधियम, जैसे [कारखाना अधिनियम, 1948](#) तथा कीटनाशक अधिनियम, 1968 भी औद्योगिक सुरक्षा सुनिश्चयित करने में भूमिका निभाते हैं।

आगे की राह

- एक मज़बूत वनियामक ढाँचा: ILO सुरक्षा वनियमों को लागू करने के लिये वभिन्न सरकारी एजेंसियों की स्पष्ट भूमिकाओं के साथ एक व्यापक राष्ट्रीय ढाँचे की सफारशि करता है।
- **विश्व बैंक (2018)** ने रासायनिक दुर्घटनाओं को कम करने के लिये कड़े रासायनिक सुरक्षा नियम लागू करना आवश्यक है।
- नगिरानी और प्रवरतन को मज़बूत करना: IIM अहमदाबाद (2020) के अनुसार, भारत में औद्योगिक दुर्घटनाओं को कम करने के लिये कड़ी नगिरानी और प्रवरतन की आवश्यकता है, साथ ही कड़े दंड निधारति करने चाहिये तथा योग्य करमयों द्वारा इसकी नरितर नगिरानी भी की जानी चाहिये।
- रासायनिक जोखिम डेटाबेस का नरिमाण: 1984 की भोपाल गैस त्रासदी ने भारत में औद्योगिक रसायनों से जुड़े जोखिमों का दस्तावेजीकरण करने के लिये एक केंद्रीकृत डेटाबेस की आवश्यकता पर बल दिया है।
 - आरथिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development -OECD) रसायनों के वर्गीकरण तथा लेबलिंग की वैश्वकि सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (Global Harmonized System- GHS) को बढ़ावा देता है, जो इन रसायनों को वर्गीकृत करने के लिये एकमानकीकृत तरीका प्रदान करता है, जिससे जोखिम का बेहतर तरीके से आकलन करने में सहायता मिलती है।
- शरमकि प्रशक्षण में नविश: भारतीय **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद** (National Safety Council of India- NSCI) द्वारा 2017 में किये गए एक अध्ययन में पाया गया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में शरमकिं की अनभिज्ञता औद्योगिक दुर्घटनाओं से बचाव न कर पाने का प्रमुख कारण है।
 - NSCI सभी स्टाफ सतरों के लिये अभ्यास सहाति व्यापक प्रशक्षण कार्यक्रमों की सफारशि करता है।
- सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना: **संयुक्त राष्ट्र प्रयावरण कार्यक्रम** (United Nations Environment Assembly- UNEP) उदयोगों को प्रयावरण की दृष्टि से स्वस्थ प्रौद्योगिकियों (Environmentally Sound Technologies- EST) को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करता है।
 - EST से हानिकारक सामग्रयों के उपयोग को न्यूनतम किया जा सकता है, अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार किया जा सकता है तथा दुर्घटनाओं के संभावति जोखिम को कम किया जा सकता है।
- सुरक्षा उपायों के उन्नयन हेतु प्रोत्साहन और सहायता: सुरक्षा सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिये बुनियादी ढाँचे के उन्नयन और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु कर छूट या सबसाड़ी जैसी वित्तीय सहायता की पेशकश की जा सकती है।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहति, 2020:

- नियोक्ता और करमचारी करतव्य: यह सुरक्षा के संबंध में नियोक्ता और करमचारी दोनों के लिये ज़मिनेदारियों को परभिष्ठति करती है।
- क्षेत्र-विशिष्ट सुरक्षा मानक: वभिन्न उदयोगों के लिये सुरक्षा मानक स्थापति करती है।
- करमचारी कल्याण: यह करमचारियों के स्वास्थ्य, कार्य स्थितियों, कार्य धंटों, छुट्टियों आदि पर ध्यान केंद्रित करती है।
- संविदि शरमकि अधिकार: संविदि शरमकिं के अधिकारों को मान्यता प्रदान करती है तथा उनकी रक्षा करती है।
- लैंगिक समानता: यह संहति सभी प्रकार के कार्यों के लिये सभी प्रतिष्ठानों में महलियों को नियोजिति करने की अनुमति देकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है।

निषिकरण:

भारत में औद्योगिक दुर्घटनाएँ देश के औद्योगिक परिवेश में वनियामक और ज्ञान संबंधी अंतराल को दूर करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। भारत, सरकार तथा उदयोग हतिधारकों दोनों को शामिल करते हुए एक समग्र एवं सक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर, एक सुरक्षित व अधिक टकिऊ औद्योगिक विकास की दिशा में कार्य कर सकता है।

दृष्टिमुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न. बार-बार होने वाली औद्योगिक दुर्घटनाएँ गंभीर वनियामक कमयों और अपर्याप्त सुरक्षा उपायों को उजागर करती हैं। भारत ज्ञान की कमी को कैसे कम कर सकता है और भविष्य में होने वाली त्रासदियों को कैसे नियंत्रित कर सकता है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विभिन्न वर्ष के प्रश्न

????????????????:

प्रश्न. भारत में क्यों कुछ परमाणु राइक्टर "आई.ए.ई.ए सुरक्षा उपायों" के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? (2020)

(a) कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरयिम का।

- (b) कुछ आयातति यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूरतिका।
- (c) कुछ विदेशी उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा।
- (d) कुछ सरकारी स्वामतिव वाले होते हैं और अन्य नजीब स्वामतिव वाले।

उत्तर: (b)

प्रश्न:

प्रश्न. ऊर्जा की बढ़ती हुई जरूरतों के परिपक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभकीय ऊर्जा कार्यक्रम का वस्तिर करना जारी रखना चाहिए? बढ़ती ऊर्जा से संबंधित तथ्यों एवं भयों की विचना कीजिये। (2018)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/industrial-accidents>

